न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 68–एक/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–12–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 303/अपील/2008–09.

बलबंत पिता राजाराम मृत तर्फे –
1– शिवजीराम पिता बलवंत
2– अनोखीलाल पिता बलवंत
3– जगन्नाथ पिता बलवंत
निवासीगण ग्राम बूढ़ीबरलोई
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूलाल पिता गोविंद
2– रामेश्वर पिता गोविंद
3– अम्बराम पिता गोविंद
निवासीगण ग्राम बूढ़ीबरलोई
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री एच0एन0 फड़के, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0आर0 ब्यास, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बूढ़ीबरलोई तहसील सांवेर स्थित भूमि कुल किता 23 कुल रकबा 37.08 एकड़ भूमि अनावेदकगण व आवेदकगण के पिता स्व. बलवंत के नाम संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी ।

तहसीलदार, सांवेर द्वारा दिनांक 21–4–1971 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा अनावेदकगण एवं आवेदकगण के पिता स्व. बलवंत के मध्य किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि फर्द बटवारा में टंकण व लेखन त्रुटि के कारण अनावेदकगण के आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 153/2 क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर पर आवेदकगण के पिता स्व. बलवंत व उसके बाद आवेदक कमांक 2 अनोखीलाल का नाम अंकित हो गया, और सर्वे कमांक 155/1 क्षेत्रफल 0.117 हेक्टेयर पर अनावेदकगण का नाम अंकित हो गया है, अतः उक्त त्रुटि दुरूस्त की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2009 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर खसरा बी–1 में सर्वे कमांक 153/2 क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 2 के नाम के स्थान पर अनावेदकगण का नाम एवं सर्वे कमांक 155/1 क्षेत्रफल 0.117 हेक्टेयर पर अनावेदकगण के स्थान पर आवेदक कमांक 2 का नाम अंकित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–12–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1971 में बटवारा आदेश पारित हुआ है, तब से वर्ष 2008 तक लगभग 36 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात अनावेदकगण को बटवारा आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जो कि अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश अंतिम हो गया था, और उसे टंकण त्रुटि के आधार पर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां उभय पक्ष को बटवारे में प्राप्त हुई हैं, और वे अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारा आदेश अनावेदकगण

की उपस्थिति में पारित किया गया है, इसलिए तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित कर सर्वे कमांक 153/2 क्षेत्रफल 0.121 हेक्टेयर पर आवेदकगण के पिता स्व. बलवंत व उसके बाद आवेदक कमांक 2 अनोखीलाल का नाम एवं सर्वे कमांक 155/1 क्षेत्रफल 0.117 हेक्टेयर पर अनावेदकगण के नाम दर्ज कर दिया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंत कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्य ली जाकर एवं जॉच कराई जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत आदेश है ।

(3) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया है, जिसको चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, अतः समयावधि के बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है ।

(5) संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा सकता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) त्रुटिपूर्ण की गई प्रविष्टि को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इस प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि है, जिसे संशोधित करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है ।

तर्कों के समर्थन में 1974 आर.एन. 286, 1987 आर.एन. 234, 2002 आर.एन. 355, 1985 आर.एन. 306, 2005 आर.एन. 355, 1985 आर.एन. 308, 1995 आर.एन. 366, 1973 आर.एन. 111, 84, 2007 आर.एन. 236 (उच्च न्यायालय), 2008 आर.एन. 162 (उच्चतम न्यायालय), 2002 आर.एन. 401, 1993 आर.एन. 52, 1994 आर.एन. 305 (उच्च न्यायालय) 1997 आर.एन. 258, 2009 आर.एन. 285 एवं 2005 आर.एन. 178 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जबकि उनका यह विधिक दायित्व था कि वे प्रस्तुत शपथ पत्रों पर उभय पक्ष की साक्ष्य लेते हुए आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करते हुए निष्कर्ष निकालते । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होकर बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है, इस कारण उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2009 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर